तार "भूमि बैंक"

Tel. : "BHUMIBANK"
दूरभाष : ई.पी.ए.बी.एक्स 223884)
Phones : 2238842,
2239805,3056381
फैक्स : 0522 2239806
E. Mail : idb@up.nic.in

# उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0

## प्रधान कार्यालय, 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र संख्या:सी- 58 /तकनीकी प्रको0/2018-19, दिनांक: 15-10-18

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबंधक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय: वर्ष 2018-19 राष्ट्रीय पशुधन मिशन-ई.डी.ई.जी. घटक के कार्यान्वयन हेतु।

नाबार्ड के अपने पत्र संख्या जी.एस.एम./1510/एन.एल.एम-1/2018-19दिनांक 18.09.2018(संलग्न) द्वारा सूचित किया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 18-19 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना से सम्बन्धित प्रस्ताव सम्बन्धित बैंक द्वारा नाबार्ड के एनश्योर पोर्टल में अपलोड कराया जाए न कि प्रस्ताव की हार्ड कॉपी नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजी जाए। इस संबंध में नाबार्ड ने सुझाव दिया है कि किसी प्रकार की भ्रॉति की स्थिति में नाबार्ड के अधिकारियों श्री ए0एम0पाल(ए0जी0एम0) मोबाईल नं0 7250303375 आफिस नं0 05222399182 पर एवं श्री टी0ए0सेविन(प्रबन्धक) मोबाईल नं0 9161355111 आफिस नं0 0522-2399189 पर कार्यालय अवधि प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.30 बजे तक सम्पर्क कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 02,मई 2018 के अपने पत्र संख्या 99-6/2018/एनएलएम/एडिएम एप्रूवल के माध्यम से वर्ष 2018-19 के दौरान उपर्युक्त योजना को जारी रखने (7,अगस्त 2018 का मेमो संदर्भ संख्या एफ0एन0 99-6/2018/एडिएम0अप्रूवल और 28,अगस्त 2018 के राष्ट्रीय पशुधन मिशन एन0एल0एम0 ई0डी0जी के पत्र संख्या 2-47/2009- एएचटी /एफ0एफ0(क्वेयूम-3) के द्वारा दुर्गम क्षेत्रों पर्वतीय क्षेत्रों और एस0एम0बी0सी0 घटक हेतु सब्सिडी सीमा के संबंध में परिचालनात्मक दिशानिर्देश) जारी रखने के लिए अनुमोदन दिया गया है। इस संबंध में नाबार्ड के संदर्भ संख्या रा0बै0डी0ओ0आर0जी0एस0एस0/1696/एन0एल0एम-1/2017-18,दि0 14.07.17 (नाबार्ड कार्यालय के परिपत्र संख्या 180/डीओआर-41/2017) के संदर्भ में प्रधान कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या सी-45/तक0प्रको0/2017-18,दि0 05.09.17 जो संदर्भित योजना से संबंधित परिपत्र संख्या सी-69/तक0प्रको0/2016-17,दि0 12.09.16 के क्रम में, जिसमें विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए कुल रू0 199.89 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसका राज्यवार श्रेणीवार आवंटन अनुबन्ध-1 में दिया गया है। इस योजना को मूल्यांकन/योजना के अनुमोदन लंबित रहते हुए 12वी पंचवर्षिय योजना अवधि से आगे विस्तार दिया गया है। बशर्ते 12वीं योजना के लिए अनुमोदित इस योजना की प्रकृति, संभावना और व्याप्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके विस्तृत परिचालानात्मक दिशानिर्देश www.dahd.nic.in पर उपलब्ध है।

2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन(ई0डी0ई0जी0) के अधीन नाबार्ड कार्यान्वयक एजेन्सी होगी। इसमें पोल्ट्री, बेंचर,कैपिटल फण्ड(पी0बी0सी0एफ0) छोटे रूमेन्धक और खरगोश समन्वित विकास (आई0डी0एस0आर0आर0), सूअर विकास (पी0डी0) भैंस के नर बछड़ों का संरक्षण(एस0एम0बी0सी0) शामिल है, उपर्युक्त उप घटक अनुबन्ध-ए-1-(बी) में दिए गए है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए सब्सिडी की दर और लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियॉ अनुबन्ध-ए-1(सी) में दिए गए हैं।

3. परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का सार नीचे दिया गया है।

1) पात्र वित्तीय संस्थाएं-वाणिज्य बैंक, शहरी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और अन्य संस्थाएं जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं।

2) बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना की स्वीकृति और सब्सिडी जारी करना-उद्यमी योजना के मापदण्डों के अनुसार परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसकी स्वीकृति के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तुत करेंगे। शाखा प्रबंधक पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा समय समय पर जारी प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्थान परियोजना का मूल्यांकन करेंगे और पात्र पाये जाने पर ऋण की स्वीकृति नियमानुसार की जाएगी । शाखा प्रबंधक प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद 7 दिन में उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर स्वयं भरते हुए शाखा के मेल आईडी से techcell.upsgvb@gmail.com पर मेल करेंगे। शाखा के मेल आईडी के अतिरिक्त किसी अन्य मेल आईडी से भेजी गयी

सूचनाएं मान्य नहीं होंगी। शाखा प्रबंधक द्वारा प्रेषित की गयी फाईल बिना किसी संशोधन के बैंक द्वारा ई0डी0ई0जी0पोर्टल में अपलोड किया जाएगा यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी अथवा नाबार्ड के पोर्टल में शाखा प्रबंधक द्वारा प्रेषित की गयी फाईल अपलोड नहीं होती है अथवा उसमें कोई त्रुटि पायी जाती है जिसके कारण कृषक को अनुदान प्राप्त नहीं होता है उसके लिए पूर्णतया शाखा प्रबंधक उत्तरदायी होंगे। उक्त के संबंध में सभी सूचनाएं आपको शाखा के मेल आईडी पर techcell.upsgvb@gmail.com द्वारा मेल की जाएगी। शाखा प्रबंधक द्वारा प्रथम किश्त के ऋण वितरण के 7 दिन के भीतर पुनः ऋण वितरण संबंधी सूचनाए उपरोक्त मेल आईडी पर निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की जाएगी। उपरोक्त योजना में निर्धारित समयसीमा के भीतर सब्सिडी के दावे समय से अपलोड करना आवश्यक सुनिश्चित करें।

3) परियोजना स्वीकृति समिति(पी0एस0सी0) नाबार्ड, प्रधान कार्यालय में गठित परियोजना स्वीकृति समिति (पी0एस0सी0) संबंधित वित्त पोषक बैंक/संस्थाओं द्वारा पोर्टल में अपलोड किए गए प्रस्ताव पर विचार करेगी और प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद एक माह के भीतर पात्र आवेदकों के सब्सिडी के मामले अनुमोदित करेगी।

4) राज्यों को श्रेणी-वार आबंटित बजट की उपलब्धता के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी।

5) वित्तपोषक बैंक/वित्तीय संस्था अपने बही खातों से सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में उधारकर्ता बार सब्सिडी राशि रखेगें और नाबार्ड से सब्सिडी प्राप्त होने के बाद सात दिन के भीतर लाभार्थी के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में सब्सिडी की राशि का समायोजन करेंगे अन्यथा वित्तपोषक बैंक/वित्तीय संस्था को लाभार्थी से लिए गए अतिरिक्त ब्याज की क्षतिपूर्ति करनी होगी वित्तपोषक बैंक/वित्तीय संस्था के नियंत्रक कार्यालय इस आशय का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने लाभार्थी संबंधी विस्तृत जानकारी सहित लाभार्थी के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते (एसआरएएफ) में सब्सिडी राशि जमा की है सब्सिडी प्राप्त होने के 15 दिन के भी नाबार्ड को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत/ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

6) चुकौती अवधि/अनुग्रह अवधिः-

| ईडीईजी घटक | चुकौती अवधि | छूट अवधि |
|---|---|---|
| पोल्ट्री बेंचर पूँजी निधि(पीवीसीएफ) | 5 से 9 वर्ष | 6 माह से 1 वर्ष |
| छोटे रूमेन्यक और खरगोस संबंधी विकास (आईडीएसआरआर) | अधिकतम 9 वर्ष | 2 वर्ष |
| सूअर विकास (पीडी) | 5 से 6 वर्ष | 1 वर्ष |
| भैंस के नर बछड़ों का संरक्षण(एसएमबीसी) | 4 से 6 वर्ष | 1 वर्ष |

7) परियोजना पूर्ण करने की समयसीमा परियोजना में किए गए प्रावधान के अनुसार ऋण की पहली किस्त के वितरण तिथि के बाद अधिकतम 12 महीने के भीतर परियोजना पूरी करनी होगी, लाभार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त पाए जाने पर वित्तपोषक बैंक इस अधिकतम अवधि को 3 महीने तक बढ़ा सकता है।

8) सब्सिडी के लिए लॉक इन पीरियेड 3 वर्ष 3 वर्ष की अवधि के बाद सब्सिडी की राशि उधारकर्ता के खाते में समायोजित की जा सकती है और अनर्जक आस्ति खाते (एनपीए) के बनने पर इसे लौटाया जाएगा।

9) सहायता प्रदान करने में वरीयता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन, छोटे, सीमान्त और देश के सूखा और बाढ़ग्रस्त इलाको के किसानों सहित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले किसानों की श्रेणी में आने वाले लाभार्थीयों को वरीयता दी जा सकती है।

5-अनुप्रवर्तन और रिपोर्टिंग-स्थापित की गई इकाइयों का नमूना आधार पर अनुप्रवर्तन नाबार्ड करेगा और प्रमुख टिप्पणियॉ परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्य नियम व शर्तें बैंक के पूर्व प्रेषित परिपत्र के अनुसार ही रहेंगी समयावधि अंतर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त वरिष्ठ प्रबंधक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबंधक(कम्प्यूटर),प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई-मेल द्वारा समस्त जनपदीय शाखओं को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रधान कार्यालय,लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (तकनीकी)